न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14/2011

अपीलांट

1. धर्मा पुत्र जेता, जाति विश्नोई, निवासी भालनी, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
2. लाला पुत्र जेता, जाति विश्नोई, निवासी भालनी, तहसील बागोडा, जिला जालोर फौत के कायम मुकाम
   2/1 हीराराम पुत्र लालाराम उम्र 61 वर्ष
   2/2 लादुराम पुत्र लालाराम उम्र 58 वर्ष
   2/3 मोहनलाल पुत्र लालाराम उम्र 53 वर्ष
   2/4 रघुनाथ पुत्र लालाराम, उम्र 45 वर्ष, तमाम जातियान विश्नोई, निवासीगण हापु की ढाणी, भालनी, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
   2/5 भीखी पुत्र लालाराम पत्नी किशनाराम, जाति विश्नोई, निवासी हेमागुडा, तहसील चितलवाना, जिला जालोर
   2/6 जमना पत्री लालाराम पत्नी वागाराम, जाति विश्नाई निवासी रोयला, तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

रेस्पोडेन्टस्

1. धीमा पुत्र जेता
2. नारायण पुत्र जेता, जाति विश्नोई, निवासीयान भालनी, तहसील बागोडा, जिला जालोर
3. रामचन्द्र पुत्र मोतीजी, जाति विश्नोई, निवासी हापू की ढाणी
4. किशनाराम पुत्र हरचंद, निवासी भालनी, तहसील बागोडा
5. तहसीलदार बागोडा, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री त्रिलोक चंद महेता, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से

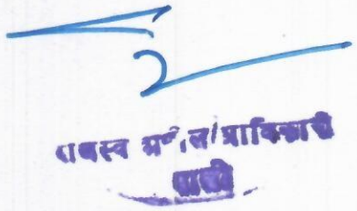

14/2011
धर्मा बनाम धीमा वगैरह
पेज संख्या 2/5

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 64/2010(105/09) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित। उक्त पक्षकारान के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा हापू की ढाणी के खसरा नंबर 410 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 411 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 412 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 413 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 414 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 418 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 419 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 420 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 427 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 428 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 429 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नंबर 432 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 433 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 434 रकबा 0.46 हैक्टेयर, आराजी को वादी तथा प्रतिवादी धर्मा व लाला की संयुक्त खातेदारी आराजी घोषित कराने एवं उसी माफिक राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात करने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत वाद का अपीलांट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया। उक्त जवाब दावे के चरण संख्या 4 में स्पष्ट अंकन है कि वादग्रस्त आराजी के संबध में संवत 2031 में आपस में बंटवाडा हो चुका था। एवं अपने बंट की अलग अलग भूमि पर कब्जा काश्त किय। जिसकी पालना में रिसेटलमेंट के दौरान सभी सह खातेदारान की अलग–अलग भूमि दर्ज की गई। जिसके आधार पर खसरा नंबर 411, 418, 419, 420, 428, 429 की भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज की गई। जिसको रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 0.055 हैक्टेयर आराजी राज्य सरकार के हक में सरेण्डर की, तथा खसरा नंबर 0.695 हैक्टेयर भूमि किशना पुत्र हरचंद को बेचान की। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट धीमा ने खसरा नंबर 419 में से 0.016 हैक्टेयर भूमि रामचंद्र पुत्र मोतीराम को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज दिनांक 03.06.09 को बेचान की। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने खातेदारी में इन्द्रांज को सही माना है। वादग्रस्त आराजी का सवंत 2031 में आपस मे बंटवारा हो चुका है। उपरोक्त बंटवाडा व रिसेटलमेंट के दौरान खातेदारी इन्द्राज को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने स्वीकार

किया है एवं उसी आधार पर आराजी का बेचान किया है। जिससे उपरोक्त वादग्रस्त आराजी को संयुक्त खातेदारी आराजी घोषित कराने हेतु स्टाप्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को ध्यान में न रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधि विरूद्ध है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा हापू की ढाणी के खसरा नंबर 410 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 411 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 412 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 413 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 414 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 418 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 419 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 420 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 427 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 428 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 429 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नंबर 432 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 433 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 434 रकबा 0.46 हैक्टेयर, आराजी को वादी तथा प्रतिवादी धर्मा व लाला की संयुक्त खातेदारी आराजी घोषित कराने एवं उसी माफिक राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात करने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी आराजी है। सेटलमेंट विभाग को विभाजन करने एवं नये सिरे से खातेदारी हक प्रदान करने का अधिकार नहीं है। जिससे सेटलमेंट के द्वारा जो रिसेटलमेंट के दौरान राजस्व रेकर्ड में किये गये इन्द्राजात प्रथम दृष्टया शून्य, नाजायज, बेअसर एवं कानून के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा हापू की ढाणी में स्थित वर्तमान खसरा नंबर 116 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 119 रकबा 1.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 120 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नंबर 265 रकबा 0.22 हैक्टेयर के खसरा नंबर 410 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 411 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 412 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 413 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 414 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 418 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 419 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 420 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 427 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 428 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 429 रकबा 0.75

हैक्टेयर, खसरा नंबर 432 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 433 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 434 रकबा 0.46 हैक्टेयर, आराजी धुडा पुत्र सूरजनराम का 1/2 हिस्सा तथा धर्मा, नारायण, लाला एवं धीमा की खातेदारी आराजी थी। जमाबंदी सवंत 2038 से 2041 तक की एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 एवं धुडा पुत्र सूरजन सहखातेदार के मध्य सामलात में काश्त करना संभव नहीं होने से रिसेटलमेंट के पूर्व ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व धुडाराम ने आपसी समझाईश से उपरोक्त आराजी का विभाजन कर लिया था। जिससे वर्तमान खसरा नंबर 116 रकबा 0.73 हैक्टेयर एवं वर्तमान खसरा नंबर 120 रकबा 0.72 हैक्टेयर आराजी धुडा के हिस्से में रही।। जो वर्तमान में प्रेमा पुत्र धुडा के नाम दर्ज है। एवं अन्य आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के खाते में सामलाती दर्ज रही। वर्तमान खसरा नंबर 411 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 428 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 420 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नंबर 418 रकबा 0.01 हैक्टेयर, एवं खसरा नंबर 419 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल रकबा 1.17 हैक्टेयर वादी के हिस्से में रही। वादी ने अपनी भूमि में से स्वंय के तथा जन सामान्य के हितार्थ एवं प्रतिवादीगण के हितार्थ 0.695 हैक्टेयर भूमि 429 में से राज्य सरकार के हक में सरेण्डर की एवं 0.695 हैक्टेयर भूमि किशना पुत्र हरचंद विश्नाई को बेचान की गई। शेष भूमि वादी में खाते में दर्ज रही। जो नकल जमाबंदी से स्पष्ट है। धीमा ने अपने हिस्से में से रामचन्द्र को 0.016 हैक्टेयर भूमि बेच दी है। वर्तमान में वादी का रहवास खसरा नंबर 419 में स्थित ढाणी पर है जिसमे 0.09 हैक्टेयर भूमि जमाबंदी के हिसाब से उसके खाते में आती है। तथा 0.074 हैक्टेयर भूमि पर वादी की कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिवादी धर्मा के हिस्से में खसरा नंबर 410 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 432 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 434 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नंबर 419 में से 1.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 412 रकबा 0.01 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा की भूमि जो उपयोगी एवं मौके की है वह भूमि अपने हक में प्रतिवादी धर्मा ने अपने हक में दर्ज करवा दी है। इसी प्रकार लाला के खाते में खसरा नंबर 412 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 412 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 413 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 414 रकबा 0.05 हैक्टेयर, दर्ज की गई। प्रतिवादी नारायण लाल के खाते में वर्तमान खसरा नंबर 119 रकबा 1.43 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 265 रकबा 0.22 हैक्टेयर आराजी दर्ज की गई। उपरोक्त खसरा नंबर 119 की भूमि नारायण द्वारा कपूरा पुत्र अनाजी इसरा पुत्र अनाजी को बेचान कर दी तथा खसरा नंबरी 265 की भूमि बाबूलाल, तेजाराम पिसरान बिरबलराम को बेचान कर दी गई। एवं शेष 1.63 हैक्टेयर भूमि का बेचान वादी एवं प्रतिवादी धर्मा व लाला की सहमति से किया गया। इस कारण वादी बेचाननामे को चुनौती नहीं देना चाहता हैं। सेटलमेंट विभाग को विभाजन करने एवं नये सिरे से खातेदारी हक प्रदान करने का अधिकार नहीं है। इस कारण सेटलमेंट के द्वारा जो रिसेटलमेंट के दौरान राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात किये गये है, वो प्रथम दृष्टया शून्य नाजायज, बेअसर एवं कानून के विपरित है। अत वर्तमान खसरा नंबर 116, 120, 265, 119 को छोडकर शेष वादग्रस्त आराजी आराजी सरहद मौजा हापू की ढाणी के खसरा नंबर 410 रकबा 0.44

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हैक्टेयर, खसरा नंबर 411 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 412 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 413 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 414 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 418 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 419 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 420 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 427 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 428 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 429 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नंबर 432 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 433 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 434 रकबा 0.46 हैक्टेयर, वादी तथा प्रतिवादी धर्मा व लाला की संयुक्त खातेदारी आराजी घोषित कराने एवं उसी माफिक राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात करने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में हाजां न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अपील में मुख्य बिन्दु यह लिया है कि वादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य सवंत 2031 में बंटवाडा हो चुका है। एवं उक्त बंटवाडा अनुसार सभी खातेदारान वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। अब हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या सेटलमेंट विभाग को कृषि आराजी का बंटवाडा करने का अधिकार है अथवा नही ? इस संबध में R.R.D 1999 514 चन्द्रावती बनाम भंवरसिंह में यह प्रतिपादित किया है कि "Settlement Authorities Can Not Make Partition." इसी प्रकार आर.आर.डी 1997 2013 नारायण बनाम छीतर में यह प्रतिपादित किया है कि "The Settlement Authorities Can not breakup the holdings. " हस्तगत प्रकरण में न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया चस्पा होते है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त से यह स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग को कृषि भूमि बंटवाडा करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए तनकीयात कायम कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 64/2010(105/09) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2011 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली